फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– लेहरूलाल **विपक्षी :– ईन्द्रमल**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 70/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.12.2019 पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद सं. 266/07 को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 266/07 अनवान लेहरूलाल बनाम ईन्द्रमल दिनांक 06.08.2019 को वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद व प्रतिवादी का प्रतिवाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। चूंकि मूल पत्रावली के अवलोकन से मूल पत्रावली बहस दावा में नियत थी। उसके पश्चात् वादी व प्रतिवादी की अनुपरिथिति में वाद व प्रतिवाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका हैं। जिसे नम्बर पर लेने के लिए आज वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। वादी द्वारा लगभग 4 माह के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। चूंकि वाद को चलाने के लिए वादी व उनके अधिवक्ता दोनों का ही यह दायित्व होता है कि वे न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्येक पेशी पर दोनों में से एक न्यायालय में उपस्थित रहे। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी की भूल समझा जा सके। फिर भी वादी का वाद में हित होने से न्यायहित में भारी कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 266/07 अनवान लेहरूलाल बनाम ईन्द्रमल में आदेश दिनांक 06.08.19 को वादी के हद तक अपास्त किया जाता हैं तथा प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा I.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.28 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested